

--:सूचना :-

मेरठ विकास प्राधिकरण में सिविल/विद्युत/उद्यान कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण कराने के लिए वांछित प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रपत्र दिनांक:15.02.218 से दिनांक: 31.03.2018 तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दें। उक्त दिनांक के उपरान्त प्राप्त कराये गये प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे ठेकेदारों को न ही कोई निविदा निर्गत की जायेगी तथा उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा। पंजीकरण फार्म उक्त कार्यदिवसों में रू0 50/-का शुल्क जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण सम्बन्धी अन्य अध्यावधिक जानकारी अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

नोट:-पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु फर्म/आवेदन कर्ताओं को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत/चरित्र प्रमाण-पत्र फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर द्वारा स्वयं बनवाये गये हैं, यदि उक्त प्रमाण-पत्रों व अन्य प्रपत्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

07/02/18
अधिशारी अभियन्ता,

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1-शरद श्रीवास्ताव, सहायक प्रोग्रामर, को उपरोक्त सूचना प्राधिकरण की वैवसाईडपर अपलोड करने हेतु।

अधिशारी अभियन्ता,

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।